(124)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. केन्द्र ग्वालियर

प्र.क्र. /2016–17 निगरानी PBR/मन्दसौर/भू.रा./2017/1932

खुमानसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत
निवासी बसई तहसील सीतामऊ जिला
मंदसौर -- आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन -- अनावेदक

प्राप्त अभिभाषक श्री दिनेश ...
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 01-6-17 01.06.17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर कलेक्टर मंदसौर के प्रकरण क्र. 14/निगरानी/16–17 में पारित आदेश दिनांक 22–03–2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।

1. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने प्रकरण की वस्तुस्थिति को देखे व समझे बगैर कल्पना के आधार पर प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश को निरस्त करने में महान वैधानिक त्रुटि की है।

3. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा प्रकरण को जो स्वमेव निगरानी में लेकर आदेश पारित किया है वह आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर का होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

4. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदक को विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी नहीं किया है तथा न ही आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया है। बिना सूचना दिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर आदेश पारित करने में अधीनस्थ योग्य न्यायालय

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/म.न./भू.रा./2017/1932

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	